उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निधान कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, A & Dब्लाक, किसान मण्डली भवन, विस्तृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010
(उप्रपर)
टेलीफोन : 91—522—2723921 टेलीफोन : 18001805412
e—नेट: upbocboardiko@gmail.com

::अधिसूचना::

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 596/36—2-2020
—03(जी)/2020 दिनांक 23.03.2020 द्वारा “आपदा राहत सहायता योजना” संचालित
किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापति के अनुक्रम में योजना निम्नवत
है—

1. योजना का नाम :—“आपदा राहत सहायता योजना “

2. उद्देश्य :—उप्रपर भवन एवं अन्य सन्निधान कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आपदा की स्थिति में जबकि निर्माण श्रमिकों की जीविका
एवं उनके भर्ती प्रोषण का संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में
दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भर्ती प्रोषण करने हेतु आपदा
काल में आधिक सहायता उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनके
संप्रभु परिवार के भर्ती प्रोषण का संकट उत्पन्न न हो एवं उन्हें मुखमारी की स्थिति का
सामना न करना पड़े।
आपदा के ताल्युर राज्य के किसी भाग में प्रकृति या अन्यथा घटता होने
वाली ऐतिहासिक या आसान घटना, संकट, आपदा, घोर धिरत, अनर्थ, दुर्माय,
अमाय या विनाश से है, जिससे मिलित भागिन स्थिति होता है या कार्य होता हो की
आशंका हो—
i. स्थायिक और जंगम दोनों समर्पिन की व्यापक क्षति या नुकसान ; या
ii. मानव जीवन की व्यापक हानि या मानवों की क्षति या बीमारी ; या
iii. पहाड़ीवन की क्षति या उसका हार्स और कोई ऐसा प्रभाव जो अगले
संस्तानों का उपयोग करते हुए सामना करना भ्रामक जन समुदाय के जीनता
से परे हो और जन समुदाय की सामान्य कार्य प्रणाली को विच्छेदन करता
है।

3. योजना के अन्तर्गत पात्रता :—इस योजना के अन्तर्गत प्रलेख पंजीकृत निर्माण
श्रमिक जिसका अंशदान आदतन ज्ञात हो, पात्र होगे।

4. देय हितलाभ :—योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भर्ती प्रोषण हेतु
एकमुख 100/-(100 एक हज़ार मान) की धनराशि वाराणिक/अर्द्ववाराणिक/
१००००/- (१०००० एक हज़ार मान) की धनराशि वाराणिक/अर्द्ववाराणिक/
वैद्यकिक/वाराणिक के रूप में, जैसे कि केरल/राजस्थान आदि वोट द्वारा विविधान
किया जाये, आधिक सहायता के रूप में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों
को देय होगी। आधिक सहायता की यह धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में
सीधे आर्टिट0जी0एस0 के माध्यम से अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से
सीधे अन्तर्गत की जायेगी।

5. आवेदन प्रक्रिया :—
6. आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया—
   i. बॉर्ड द्वारा घोषित पर उपलब्ध करायी गयी सूची को स्वीकारता अधिकारी आर्थिक क्षेत्र में अपर/उप/सहायक श्रम योजना के लिए जोड़ा जाएगा।
   ii. प्रस्ताव 6.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत कराया गया सांगत्य पत्र के लिए जोड़ा जाएगा।
   iii. स्वीकृत प्राप्ति द्वारा वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को 02 दिन के अंतर्गत परीक्षण कर स्वीकृत प्रदान करेंगे एवं भुगतान की पुष्टि सुनिश्चित करेंगे।

7. कदिनाइयों का निवारण —योजना में आने वाली कदिनाइयों का निवारण संचित, बॉर्ड द्वारा आयक्ष, बॉर्ड के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अतएव, उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिसूचित एवं प्रवर्तित की जाती है। यह अधिसूचना भ्रष्ट संचित, श्रम, 2090 शासन के अनुसार 23.03.2020 के क्रम में निर्देश की जा रही है।

(संजय सिंह रोहन)  
अपर सचिव, बॉर्ड  
पत्रांक—U890-U992  
भोजनमित्र (1802)—2020  
दिनांक : 23/03/2020  
प्रतिलिपि—निगमनितिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित।
1. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ090 शासन को उनके पत्र संख्या : बी0–2–67/10–2020–एम0–01/2020 दिनांक 21.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रस्तुत।
2. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, उ090 भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी00टी0 रोड, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ090।
5. समस्त जिला अधिकारी, उ090।
6. श्रम अनुबंध–2 को उनके पत्र संख्या 596/36–2–2020–03(जी)/2020 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
7. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदें) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रत्यंबन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री प्रभात कुमार गिरग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत।
9. गार्ड फाइल हेतु।

(पंकज सिंह राना)
अपर सचिव, बोर्ड।